न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/12 (20/2007) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. भवानीसहाय पुत्र खेमराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरीखुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम माजरीखुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान:---------- रेस्पो0

2 भगवानी पत्नी रामलाल
3 मेवा देवी पत्नी भवानीसहाय
4 रामलाल पुत्र खेमराम
5 रामेश्वर पुत्र रामलाल
6 रामकिशन पुत्र रामलाल
7 रामफूल पुत्र रामलाल
8 नरेन्द्र पुत्र भवानीसहाय
9 उम्मेद पुत्र रामेश्वर
10 शारदा पत्नी रामकिशन
11 सुमन पत्नी रामफूल
12 सन्तकला पत्नी रामेश्वर

जाति अहीरान निवासीयान ग्राम माजरीखुर्द तह0 बहरोड जिला अलवर

:-- तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, बहरोड
दिनांक 30.12.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमरसिंह यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. वकील रेस्पो0सं01:– श्री विनोद कुमार यादव

निर्णय दिनांक 27.9.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 214/2005 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 455 एवं 454 वाके ग्राम माजरीखुर्द तहसील बहरोड में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है । वह इन आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज है । विवादित आराजी अविभाजित है । परन्तु अप्रार्थीगण शामलात में खेती करने में मजाहमत करते हैं । प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अभी अविभाजित है और शामलात खाते की है । शामलात खाते की भूमि के प्रत्येक ईंच पर सभी सह खातेदारों का कब्जा होता है । कानूनन एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । प्रार्थी असल रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र में एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसका 1/4 भाग किस दिशा में है । धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रार्थी असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित नहीं है, किन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित भूमि अविभाजित है, जिसमें मैं 1/4 भाग का खातेदार हूं । अप्रार्थीगण अपीलांटस मेरे हिस्से की भूमि में मजाहमत करते हैं तथा जबरन कब्जा करना चाहते हैं । इसलिये तहत न्यायालय ने सही तौर पर इनको पाबन्द किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 454 एवं 455 पर प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 जगदीश को 1/4 भाग का खातेदार दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी असल रेस्पो0 संख्या 01 जगदीश के काबिज काश्तकार खातेदार होने की स्थिति में धारा 212 के तीनों बिन्दू प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्तिजनक क्षति उसके पक्ष में साबित है। इसलिये विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी एक्ट सही तौर पर स्वीकार किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2006 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner